ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. NO.- 155-161**
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

अनु0 जाति की महिलाओं में 73 वें पंचायत राज अधिनियम के सन्दर्भ में जागरूकता प्रयागराज के दुर्जनपुर, नईका, मंडोर, चन्दौहा ग्राम पंचायत पर आधारित संक्षिप्त समाजशास्त्रीय अध्ययन:-

1. डॉ0 सुशीला
2. नम्रता सिंह

1. असिस्टेंट प्रोफेसर, 2. शोध अध्येत्री, समाजशास्त्र विभाग कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातक महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0), भारत

Received- 24.11. 2021, Revised- 25.11. 2021, Accepted - 28.11.2021 E-mail: quinsingh1@gmail.com

सारांश: *भारत में प्राचीन काले से ही पंचायती राज व्यस्था अस्तित्व में रही है, भले ही इसे विभिन्न कालों में विभिन्न नामों से जाना जाता रहा हो पंचायती राज व्यवस्था ने कमोवेश मुगल काल व ब्रिटिश शासन काल में थी अपने अस्तित्व को बनाये रखा। अंग्रेगी शासन काल में 1882 में तत्कालीन व्यवसाय लार्ड रिपन ने स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थिति की जाँज करने व उसके सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव देने के लिए 1907 में राजकीय विकेन्द्रीकरण आयोग का गठन किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 5 में ग्राम पंचायतों को शामिल करके इसके सम्बन्ध I में कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया। 1993 में संविधान के 73वे संशोधन के माध्यम से पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गयी और संविधान में भाग 9 को पुनः जोड़कर तथा इस भाग में 16 नये अनुच्छेदों और संविधान में 11 वीं अनुसूची जोड़कर पंचायत के गठन पंचायत के सदस्यों के चुनाव सदस्यों के लिए आरक्षण व पंचायत कार्यो के सम्बन्ध में व्यापक प्रावधान किये गये हों जिनमें सेवाए प्रमुख आरक्षण की प्रक्रिया रखी गयी ताकि समय–2 पर ग्राम पंचायतों में सभी के प्रतिनिधित्व का समान अवसर प्राप्त हो सके । प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया हक पंचायतों के चुनाव में आरक्षण की जो व्यवस्था लागू की गयी उसमें अनुसूचित जातियों की महिलाओं में 73वें संविधान संशोधन और उनको दिये गये आरक्षण की उनमें जागरूकता का क्या स्तर है, क्या वे इस प्रावधान के बारे में जानती हो और यदि जानती है तो उसका कहाँ तक उपयोग कर पा रही है ।*

कुंजीभूत शब्द– पंचायती राज व्यस्था, ब्रिटिश शासन, तत्कालीन व्यवसाय, स्वास्थ्य संस्थाओं, सामुदायिक विकास ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात–महात्मा गाँधी के विचारों से प्रेरणा लेकर पंचायती राज व्यवस्था का शुभारम्भ किया गया। इस राज व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गयी। 2 अक्टूबर 1952 को इस उद्येश्य के साथ सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया। जिसका उद्देश्य सामान्य जनता को विकास प्रणाली से अधिक से अधिक स्थापित करना था। कर्मचारी के साथ सामान्य जनता को विकास की प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया गया लेकिन जनता को अधिकर नहीं दिये जाने के कारण यह प्रयास सफलता को नहीं प्राप्त कर सका।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात सत्ता के विवेन्द्रीकण के लिए भारत के विभिन्न राज्यों में गावों में स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था की गयी। इसका प्रारम्भ सन् 1959 में बलवन्त राय मेहता समिति के प्रतिवेदन के आधार पर किया गया था। इस सन्दर्भ में संविधान अधिनियम 1992 द्वारा इन्हें संवैधानिक स्थिति प्रदान की गयी है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत गांवों और जिलों के स्थानीय स्वशासन की प्राचीन एवं परम्परागत संस्थाओं को पुनः संगठित किया गया। पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष तय किया गया। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्वशासन की संस्थाओं को नियोजित एवं विकास की प्रक्रियाओं एवं कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से इसे भागीदार बनाना है।

विशाल देश का पंचायती राज विश्व के बुनियादी ग्राम गणतंत्रों में सबसे बड़ा और सबसे अनूठा होगा या विश्व का एक ऐसा आठवां आश्चर्य हो जो छोटे से छोटे गांव और उसमें रहने वाले बुझे हुए तथा बनवासी लोगों को लोकतांत्रिक सरकार को जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी है स इसका श्रेय जाता है वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को जिसके अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी राज्यों के लिए तीन स्तरों गांव खंड और जिला स्तर की पंचायतों के प्रत्येक 5 वर्ष में नियमित चुनाव कराने तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं आरक्षण का प्रावधान है स
प्राचीन काल में नारियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे परिवार में उनका स्थान प्रतिष्ठा पूर्ण था घर से लेकर युद्ध क्षेत्र तक नारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी लेकिन समय परिवर्तन के साथ साथ स्त्रियों की स्थिति में भी परिवर्तन होता गया और उनके क्षेत्र को केवल चारदीवारी तक सीमित कर दिया गया किंतु आज नारी को उनके संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाकर तथा संसद और विधान सभाओं में आरक्षण देकर सशक्त बनाया जा सकता है

आज विभिन्न राज्यों में लगभग ढाई लाख निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हो जो सर्वे की कुल जनसंख्या से अधिक हैं इनमें तीनों स्तरों वाली ग्रामीण पंचायतों के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या 21 लाख से अधिक है सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों संस्थाओं एक सुखद और उजज्वल पहलू

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

यह है कि इन 1200000 से अधिक महिलाएं निर्वाचित हुए हैं इस में लगभग 900000 महिलाएं पंचायतो के लिए चुनी जाती है पंचायतों में निर्वाचित महिला पंचों की संख्या 33% से पार कर 50% से अधिक है स जहां पहले कभी महिला सरपंच या 3, 4 सरपंच दीपक लेकर ढूढ़ने पर भी नहीं मिलती थी अब यह ग्रामीण महिला नेता अपनी कर्तव्य परायणता, निष्ठान निष्पक्षता के कारण पंचायती राज इतिहास का स्वर्णाक्षर बनती जा रही हैं पहले महिलाएं निरक्षरता के कारण घर की चौखट या दहलीज से बाहर निकलने को पाप या अपराध मानती थी लेकिन अब अपनी अवस्था कथित कमजोर लिंग और पराआलोचना की परवाह किए बिना साक्षरता की सीढ़ियों पर तेज कदम बढ़ते हुए लगभग प्रत्येक परीक्षण तथा परीक्षा में पुरुषों से आगे निकलती जा रही हैं। यह अलग बात है कि महिलाओं की भागीदारी उचित हो और उनको परदे से बाहर निकालने में भी यह व्यवस्था सहायक है लेकिन निरक्षरता के कारण महिलाओं को अपने पंचायत संबंधी अधिकारों का ज्ञान नहीं है यह तो आरक्षण का शुक्र है जो महिलाएं चुनी जाती हैं वरना यह एक गंभीर समस्या होती है महिलाओं के आरक्षण का लाभ उठाकर दबंग लोग अपनी पत्नियों को चुनाव जीता देते हैं और सारा काम स्वयं करते हैं इसलिए महिलाएं केवल रबर की मोहर बन कर रह जाती हैं। कानून के जरिए विधान मंडल और संसद के लिए सीटों की महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बजाय पार्टियों को इस बात के लिए बाध्य किया जाए की वे अपने कुल प्रत्याशियों में से 33% सीटें महिलाओं के लिए सुनिश्चित करें इसके लिए जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया फिर भी कुछ राजनीतिक दल किसी भी रूप में महिला आरक्षण के पारित न होने देने की चेष्टा कर रहे है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि महिलाओं को घरेलू बच्चों पोषण इत्यादि विषयों से जुड़ी समस्याओं की अच्छी समझ होती है अतः उनकी भागीदारी गया है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि महिलाएं अपने उद्देश्यों के प्रति पुरुषों की अपेक्षा अधिक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ कर्मठ उत्साही और प्रतिबद्ध हाय हैं ऐसा माना गया है कि पंचायतों में आरक्षण महिलाओं को निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान करेगा वह यह जानेंगे कि सार्वजनिक जीवन में कैसे कार्य किया जाता है उनके लिए एक अच्छा धरातल होगा जिससे वे भविष्य में बेहतर भूमिका के लिए तैयार हो सकेंगे।

73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए बुनियादी विकास 29 विषयों को शामिल किया गया इस दायित्वों के निर्वहन में पंचायतों में कमजोर वर्ग एवं महिलाओं की छुपी हुई ऊर्जा द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश की जहां पंचायतों द्वारा प्रभावी ढंग से कार्य संचालन कर विभिन्न आकांक्षाओं को पूरा किया गया वहीं समाज के जागरूक जुझारू एवं मेहनत से बनाने का प्रयास किया गया पंचायतों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग की महिलाओं को सत्ता में भागीदार बना कर इन तब को मैं महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया गया आज ग्रामीण महिलाओं का दखल चूल्हे चौके तक सीमित न रहकर राजनैतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों के नीति निर्माण में अध्य भूमिका बनता जा रहा है देश की आबादी का 50: हिस्सा महिलाएं यद्यपि 113 भाग ही पंचायती राज प्रधानों के अनुसार विकास के आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में सहभागी बन पा रही है तब भी उनको एक बेहतरीन शुरुआत कहा जा सकता है।

उत्तर वैदिक काल से लेकर मध्यकाल तक भारतीय महिलाओं की स्थिति लगातार गिरती रही महिलाओं को सभी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शैक्षिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया ब्रिटिश काल में अंत में उनकी प्रस्तुति में आंशिक परिवर्तन आने स्वाधीन भारत में उनकी प्रस्तुति को ऊंचा उठाने के लिए अनेक कदम उठाए गए ग्रामीण महिलाओं की पंचायती राज व्यवस्था में सभा गीता के अधिकार में उसकी परंपरागत प्रस्तुति पर अनेक सकारात्मक प्रभाव डाले हैं।

ग्रामीण समाज में उनकी परंपरागत दशा में समुचित सुधार हेतु पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं में उन्हें सभा की बनाने का अवसर दिए गए। ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थानों को प्रधान पद पर भी लागू की गई है इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को प्रभावी बनाने का अवसर प्रदान किया गया इससे ग्रामीण महिलाओं को अनेक लाभ मिलने लगे।

संबंधित साहित्य का अध्ययनः— महात्मा गांधी जी ने इस बात पर बल दिया कि यदि महिला को अपना विकास अहिंसा की दिशा में कराना है तो उसे बहुत सारी चीजों का केंद्रीकरण करना पड़ेगा। डॉ रामानंद गैरोला डॉक्टर मुकुंद गैरोला (1994) लेखकहप ने अपने लेक गांधी दर्शन की सोए स्पष्ट चर्चा करते हुए कहा कि गांधीजी प्रत्येक व्यक्ति को अत्यधिक अध्यात्मिक व नैतिक दृष्टि से सुखी देखना चाहते थे इसके लिए उन्होंने केंद्रीकरण को समर्थन किया उनके मत में स्वतंत्रता की शुरुआत नीचे से होनी चाहिए पंचायतों को जितना अधिक अधिकार होगा लोगों के लिए उतना ही बेहतर होगा स

अमर्त्य सेन एवं ज्या द्विज (2002) की पुस्तक 'भारत विकास की दिशाएं' ने इस पूरे संदर्भ को भारत में आर्थिक विकास के कार्यों को एक व्यापक परिपेक्ष में निर्देशित करने का प्रयास किया गया है और अन्तराष्ट्रीय तुलनाओं का सहारा लिया

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

गया। शोध के संदर्भ में पुस्तक में विशेष तौर पर स्थानीय स्वशासन पर जोर दिया गया है स्थानीय लोकतंत्र में भागीदारी का जीवन की गुणवत्ता पर बहुत प्रभाव पड़ता है जहां भारी विषमतायें हैं वहीँ स्थानीय लोकतंत्र भी पंगु होकर रह गया है स पंचायतों में महिलाओं का हिस्सेदारी भी ऐसी समस्या का प्रभाव है स स्थानीय शासन भी उच्च वर्गीय संपन्न परिवारों के हाथों में सिमट गया है।

पुस्तक में विचारों नहीं है कि इन समस्याओं के निवारण की दिशा में संविधान के 73 वें और 74 में संशोधनों के माध्यम से पहल की गई है स पुस्तक भारत में व्याप्त विषमताओं को समाप्त करके केंद्रीकरण की ओर उन्मुख होने का स्पष्ट रास्ता दिखाती है जो कि शिक्षा के संदर्भ में समानता की बात करती है।

डॉ शमता सेठ (2002) ने 73वें संशोधन के संदर्भ में अपनी पुस्तक में चर्चा की है कि पंचायती राज में संस्थाओं को प्रोन्नत करना अहम कार्य होना चाहिए स पंचायती राज संस्थाएं अब पुरुष प्रधान नहीं रही है । अनुसूचित जाति–जनजाति वर्ग ने पंच से लेकर जिला प्रमुख के पद तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है लेकिन पंचायती राज संस्थाओं में समन्वय का अभाव है।

सुधीर पाल एवं राजेन्द्र (2002) की पुस्तक में पंचायती राज संस्थाओं की अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के संदर्भ में अध्ययन किया गया है पुस्तक का संदेश है कि मानवता के इतिहास में शायद ही कोई ऐसी मिशाल हो जब जो संवैधानिक कानूनों (73वां व 74वां संविधान संशोधन) ने लाखों महिलाओं व दलितों को हाशिए से उठाकर बहुमत की कुर्सी पर पहुंचा दिया हो स अब हाशिए पर रहने वाली महिलाएं व दलित भी नेहत्व कर रहे हैं स लेकिन लिंग भेद गरीबी अशिक्षा व जानकारी का अभाव इन की कठिनाइयों को बढ़ा रहा है स प्रधान पतियों सरपंच पतियों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में उत्तर भारत की खासियत है दलित सरपंचों से आशा की जाती है कि वे हाथ जोड़कर बैठे रहे स ये सभी व्यक्ति की सोचने दशा है इस तरह निष्कर्ष महिलाओं की दृष्टि बुनियादी आवश्यकताओं पर आधारित होती हैं यही वजह है कि उन्होंने शिक्षा, नशे की लत, प्रौढ़ साक्षरता जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की प्राथमिकता के आधार पर लिया है स महिलाओं की भागीदारी बढ़ी सशक्त भी हुई लेकिन निर्णायक नहीं बन पाई।

अध्ययन की समस्या– प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से अनुसूचित जाति की महिलाओं ने 73 में पंचायती राज अधिनियम के संबंध में जागरूकता का एक संक्षिप्त अध्ययन किया गया है स जिसमें उनके मध्य चुनाव में मत देने, चुनाव लड़ने, पंचायती राज के संबंध में उनके ज्ञान के स्तर, उनको प्राप्त होने वाले लाभ, आरक्षित सीटों के संबंध में जागरूकता,पसंदीदा व्यक्ति को वोट देने के संदर्भ में स्वतंत्रता तथा उनके मध्य चुनाव लड़ने के संबंध में उनकी इच्छा इत्यादि मुद्दों को शामिल किया गया है स जिनके द्वारा यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों के पश्चात आज अनुसूचित जाति की ग्रामीण महिलाएं पंचायती राज की व्यवस्था के संबंध में जागरूकता के किस स्तर को प्राप्त कर रही हैं।

अध्ययन का समग्र– उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है इस राज्य में 75 जिले हैं, जिसमें प्रयागराज अत्यंत ही सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है । प्रयागराज कुल जनसंख्या 59,59,198 है जिसमें 28,22,584 महिलाएं हैं। अध्ययन में प्रयागराज के 4 ग्राम दुर्जनपुर नईका मंदौर चन्दौहां से 25–25 महिलाओं का चयन उद्देश्यपूर्ण विधि के माध्यम से किया गया स

अध्यन का उद्देश्य–

1– अनुसूचित जाति की महिलाएं पंचायती राज व्यवस्था के संबंधमें कितना ज्ञान रखती हैं।

2– अनुसूचित जाति की महिलाएं पंचायती चुनाव में वोट देने में किस स्तर तक स्वतंत्रता रखती हैं।

3– जाति की महिलाएं पंचायती राज चुनावों में चुनाव लड़ने की इच्छा रखती हैं या नहीं।

4– अनुसूचित जाति कीमहिलाएं 73 में पंचायती राज्य में मिले आरक्षण से लाभान्वित हो रही है या नहीं।

प्रस्तुत अध्यनमें हम उपरोक्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति की महिलाओं से अनुसूची प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे अनुसूचित जाति की महिलाओं से जानकारी प्राप्त करने के उपरांत जो त्व प्राप्त हुए हैं उन्हें निम्नलिखित बालिकाओं के माध्यम से प्रस्तुतकिया गया है।

(1) पंचायती चुनाव में वोटदेने की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण– 73वें राज पंचायती अधिनियम के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया की पंचायती राज चुनाव कितने वर्ष आयोजित किए जाएंगे जिसमें वोट देने का अधिकार ग्राम सभा के प्रत्येक व्यक्ति जो वोट देने के लिए योग्य वोट दे सकता है इसी के संबंध में अध्यन के माध्यम से यह ज्ञात करने का प्रयत्न किया गया कि अनुसूचित जाति की महिलाएं पंचायती चुनाव में अपने मत का प्रयोग करती हैं या नहीं निम्न तालिका के माध्यम से इसे स्पष्ट किया गया है ।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

सारणी संख्या 1

पंचायती चुनाव में अनुसूचित जाति की महिला की वोट देने की-

पंचायती चुनाव में वोट देने की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
वोट देने जाती	85	85%
नहीं जाती है	12	12%
निश्चित नहीं है	3	3%
योग-	100	100%

अध्यन में उत्तरदाताओ से इस संबंध में विचारों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि 85: उत्तरदाता पंचायती चुनावो में वोट देने जाती हैं 12 प्रतिशत अनुसूचित की महिलायें वोट देने जाती तथा 3: उत्तर दात्रीयों इस संबंध में निश्चित नहीं हैं वे व्यवस्था की अनुकूल निर्णय लेती हैं यदि परिवार व प्रत्याशी बहुत अधिक दबाव बनाते हैं तो जाती हैं अथवा नहीं जाती हैं अतः प्रमाणित होता है कि चुनाओ में अपने मत का प्रयोग पूर्ण रूप से करती हैं।

(2) पंचायती चुनाओ में विकास के मुद्दे के सन्दर्भ में जागरूकता— 73 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए बुनियादी विकास के 29 विषयों को शामिल किया गया जिनमें मूलभूत रूप से पेयजल, ईंधन और चारा, ग्रामीण, विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन शिक्षा, महिला एवं बाल विकास जैसे मुद्दों को शामिल किया गया।अध्ययन के माध्यम से उत्तर दात्रीयों से यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया कि वे पंचायती चुनावो में विकास के मुद्दों के संदर्भ में किस स्तर की जागरूकता रखती हैं।क्या वे चुनावोंमें इन मुद्दों को ध्यान में रखकर अपने वोट का प्रयोग करती हैं जो निम्न तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है।

तालिका संख्या 02

पंचायती चुनावों में विकास के मुद्दों के संदर्भ में जागरूकता की स्थिति-

चुनावों में विकास के मुद्दों पर जागरूकता	आवृत्ति	प्रतिशत
जागरूकता है	93	93%
जागरूकता नहीं है	4	4%
कह नहीं सकते	2	3%
योग-	100	100%

उपरोक्त पालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पंचायती चुनावों में विकास के मुद्दों को लेकर अनुसूचित जाति की 93: महिलाएं जागरूकता रखती हैं । 4: महिलाएं इस के संदर्भ में जागरूक नहीं है और 3: महिलाएं असमंजस की स्थिति में पाई गई उन्हें इस संदर्भ में जागरूकता नहीं है।

चुनाव के संदर्भ में परिचिर्चा स्वतंत्रता	आवृत्ति	प्रतिशत
परिचिर्चा करती है	26	26%
परिचिर्चा नहीं करती है	74	74%
योग-	100	100%

उपरोक्त पालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पंचायती चुनाव में मात्र 26: अनुसूचित जाति की महिलाएं और देने के लिए परिचिर्चा करती हैं जबकि 74: महिलाएं अपने परिवार या घरवालों को कहने के अनुसार ही वोट डालती ।

(3) अपने पसंदीदा व्यक्ति को सरपंच बनाने के सन्दर्भ में सहभागिता की स्थिति— 73 में पंचायती राज संशोधनों के माध्यम से पंचायती चुनाव में प्रत्येक व्यक्ति को अपने मनपसंद प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार प्राप्त है । इस संदर्भ में अनुसूचित जाति की महिलाएं चुनाव में अपने मनपसंद प्रतिनिधि को चुनने में स्वतंत्रता का क्या अंतर रखती हैं यह निम्न तालिका के माध्यम से ज्ञात होता ।

सारणी संख्या 4

अपने पसंदीदा प्रतिनिधि को सरपंच बनाने के संदर्भ में सहभागिता की स्थिति-

अपने पसंदीदा प्रतिनिधि को सरपंच बनाने में सहभागिता	आवृत्ति	प्रतिशत
स्वतन्त्र हैं	14	14%
स्वतन्त्र नहीं है	76	76%
योग-	100	100%

उपरोक्त पालिका के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि 14: महिलाएं अपने मनपसंद प्रतिनिधि को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं जबकि 76: महिलाओं ने यह बताया है उन्हें इस तरह की कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं ।

(4) पंचायतों में अनुसूचित जाति की ग्रामीण महिलाओं की अधिक स्थिति– आज भी पंचायती राज के अनुसूचित जाति के लोग आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए हैं क्योंकि इस वर्ग के लोग अभी भी गांव में दिहाड़ी मजदूरी करके घर का गुजारा करते हैं। अध्ययन में अनुसूचित जाति की महिलाओं की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में निम्न आंकड़े की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में निम्न आंकड़े प्राप्त होते हैं। जो गरीबी के अध्ययन से प्रदर्शित किए है।

सारणी संख्या 5

पंचायतों में अनुसूचित जाति की महिलाओं की आर्थिक स्थिति-

अनुसूचित जाति की महिलाओं की आर्थिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
आर्थिक स्थिति अच्छी है	30	30%
अच्छी नहीं है	70	70%
योग-	100	100%

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से निम्नवत प्राप्त होते हैं कि पंचायतों में रहने वाली अनुसूचित जाति की महिलाओं में से 30: की आर्थिक स्थिति अच्छी है किंतु 70: महिलाओं की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।

(5) अनुसूचित जाति की महिलाओं में चुनाव लड़ने की इच्छा के संदर्भ में जागरूकता– 73वें संविधान संशोधन के पश्चात पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप प्राप्त हो गया । ग्रामसभा समस्त पंचायती राज व्यवस्था का दिल और दिमाग है ग्राम सभा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रथम सोपान है इस कानून की सर्व प्रमुख विशेषता यह रही कि इसमें किसी गांव के लोगों द्वारा पंचायत के लिए कुछ सदस्यों को शक्ति और अधिकार नहीं प्राप्त हुआ बल्कि पूरे ग्रामीण समुदाय या ग्राम सभा का सशक्तिकरण हुआ। अध्ययन के माध्यम से ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं में चुनाव लड़ने की इच्छा के संदर्भ में जागरूकता के स्तर को ज्ञात किया गया है जो अग्र सारणी के माध्यम से ज्ञात होता है ।

सारणी संख्या 6

अनुसूचित जाति की महिलाओं में चुनाव लड़ने की इच्छा के संदर्भ में जागरूकता की स्थिति-

अनुसूचित जाति की महिलाओं में चुनाव लड़ने की इच्छा का स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
इच्छा रखती हैं	11	11%
इच्छा नहीं रखती हैं	89	89%
योग-	100	100%

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पंचायती स्तर पर चुनाव लड़ने के संदर्भ में 11: महिलाओं ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है जबकि 89: महिलाएं इस संदर्भ में अपनी रुचि जाहिर नहीं करती ।

(6) पंचायती राज में आरक्षण के संदर्भ में जागरूकता की स्थिति– 73वें पंचायती राज संशोधन अधिनियम के माध्यम से 33: स्थान अनुसूचित जाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं इस संदर्भ में अनुसूचित जाति की महिलाओं को कितनी जानकारी है। यह अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है।

तालिका संख्या 7

पंचायती राज में आरक्षण के संदर्भ में जागरूकता की स्थिति-

पंचायती राज में आरक्षण के संबंध में जागरूकता की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
जानती हैं	18	18%
नहीं जानती	82	82%
योग-	100	100%

उपरोक्त तालिका से प्राप्त आंकड़ों में अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि मात्र 18: महिलाएं पंचायती राज्य में उपलब्ध आरक्षण के संबंध में जागरूकता रखती हैं जबकि 82: महिलाओं को इस संबंध में जानकारी नहीं ।

(7) 73वें संविधान संशोधन से उन्हें होने वाले लाभ के संदर्भ में जागरूकता– 73वें संविधान संशोधन के लिए पंचायती राज व्यवस्था में किए गए बदलाव का केवल एक ही लक्ष्य था पंचायती राज में महिलाओं तथा दलितों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए और इनका लाभ उन्हें भी प्राप्त हो सके। अध्ययन में इसके संबंध में निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए ।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

73वें संवधिान संशोधन से पराप्त होने वाले लाभ के संदर्भ में जागरूकता की स्थिति-

73वें संवधिान संशोधन से होने वाले लाभ की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
लाभ हुआ	84	84%
लाभ नहीं हुआ	14	14%
ज्ञात नहीं	2	2%
योग-	100	100%

उपरोक्त तालिका में अध्ययन से ज्ञात हुआअनुसूचित जाति की महिलाओं को 73वें संविधान संशोधन का लाभ पंचायती राज्य में प्राप्त हुआ। जिसमें 84: महिलाओं ने इस पर अपनी सहमति दिखाई जबकि 14: महिलाओं ने कहा कि लाभ प्राप्त नहीं हुआ जबकि 2: महिलाओं को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं ।

(8) पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति की महिलाओं की नीति निर्माण में भूमिका की स्थिति– राज्य व केंद्र स्तर पर पंचायती राज संबंधी नीतियों में अनुसूचित जाति की महिलाओं की सहभागिता हो या नहीं इस संबंध में महिलाओं से प्राप्त विचार अग्र तालिका के माध्यम से प्रदर्शित किए गए हैं।

तालिका संख्या 9

पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति की महिलाओं की नीति निर्माण में भूमिका की स्थिति-

पंचायती राज में नीति निर्माण में भूमिका की स्थिति	आवृत्ति	योग
भूमिका है	40	40%
भूमिका नहीं है	60	60%
योग-	100	100%

उपरोक्त तालिका की अध्यन से ज्ञात होता है कि पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जात की महिलाओं की भूमिका के संबंध में निम्नतथ्यप्राप्त होते हैं 40: महिलाओं ने इस संबंध में अपनी सहमति प्रदर्शित की जबकि 60: महिलाओं ने यह माना की नीति निर्माण में उनकी भूमिका ना के बराबर है।

(9) प्रशासन व नौकरशाही का अनुसूचित जाति महिलाओं को सहयोग का स्तर– पंचायत स्तर पर अनुसूचित जाति की महिलाओं को प्रशासन व नौकशाही के माध्यम से उचित सहयोग प्राप्त होता है कि नहीं इस संदर्भ में निम्नकालिका केमाध्यम से ज्ञात होता है।

तालिका संख्या 10

प्रशासन व नौकरशाही का अनुसूचितकी महिलाओं को सहयोग का स्तर-

नौकरशाही द्वारा प्राप्त सहयोग का स्तर	आवृत्ति	योग
सहयोग प्राप्त है	98	98%
सहयोग नहीं प्राप्त है	2	2%
योग-	100	100%

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार हैं, 98: महिलाओं ने यह माना कि प्रशासन तथा नौकरशाही से उन्हें पूर्ण सहयोग प्राप्त है जबकि केवल 2: महिलाओं ने यह माना कि उन्हें प्रशासन द्वारा पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं है ।

निष्कर्ष– अनुसूचित जाति की महिलाओं में 73वेंपंचायती राज अधिनियम के संदर्भ में जागरुकता शीर्षक के अंतर्गत यह कहना उचित होगा कि पंचायती राज भारत के लिए कोई नई बात नहीं। महिला सशक्तिकरण से हमारा तात्पर्य महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता को समाहित करते हुए सामाजिक सेवाओं में समान अवसर प्रदान करना, राजनीतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा देने का अधिकार प्रदान करने से है इसके साथ ही साथ ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार देखा गया है। प्रस्तुत समीक्षा में यह देखने का प्रयास किया गया है कि तीव्र गति से परिवर्तित हो रही ग्रामीण राजनैतिक संरचना की वर्तमान स्थिति में पंचायती राज में अनुसूचित जाति की महिलाओं की क्या स्थिति है और उनकी सहभागिता तथा जागरूकता की क्या स्थिति है। निष्कर्षतः निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं।

1– पंचायती चुनावों में अधिकतम महिलाएं अपने मत का वोट का प्रयोग करके अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करती हैं केवल न्यूनतम महिलाएं ही ऐसा नहीं करती हैं ।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

2– पंचायती चुनावों में विकास के मुद्दों को लेकर भी 93: जागरूकता रखती है कि उचित सरपंच के चुनाव के बाद उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।

3– पंचायती चुनावों के संदर्भ में परिचर्चा की स्वतंत्रता के आधार पर ज्ञात होता है कि पंचायती चुनाव में वह अपने मनपसंद प्रतिनिधि के व्यक्तित्व पर 74 प्रतिशत महिलाएं कोई परिचर्चा नहीं करती बल्कि अपने परिवार वालों के के अनुसार ही वोट करती है ।

4– अनुसूचित जाति की ग्रामीण महिलाएं सरपंच के चुनाव में स्वयं की इच्छा से नहीं बल्कि अपने परिवार वालों की इच्छा अनुसार वोट डालते हैं इसलिए सरपंच बनाने में इनकी सहभागिताकम होती है।

5– अनुसूचित जाति की ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इसलिए अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर पाती।

6– अनुसूचित जाति की ग्रामीण महिलाएं स्वयं चुनाव लड़ने के संदर्भ में अत्यधिक इच्छुक नहीं हैं कहीं ना कहीं इसका कारण आर्थिक पिछड़ापन और जागरूकता का अभाव है ।

7– अनुसूचित जाति की ग्रामीण महिलाएं पंचायती राज में मिले आरक्षण के बारे में बहुत कम जानती हैं।

8– अनुसूचित जाति की महिलाएं 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से होने वाले लाभ को स्वीकृत करती हैं।

9– पंचायती राज संस्थाओं मेंअनुसूचित जाति की ग्रामीण महिलाएं नीति निर्माण में अधिक सहभागीता नहीं रखती हैं क्योंकि वह शैक्षिक आर्थिक रूप से पूर्ण निर्भर नहीं है ।

10– अनुसूचित जात की ग्रामीण महिलाएं यह स्वीकार करती हैं कि वे प्रशासन व नौकरशाहों द्वारा उन्हें पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है ।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Women and Panchayati Raj & ShilajaNogendra.
2. Women and empowerment and Panchayati Rej&
   Shilaja Nagendklra.
3. Dynamics of New Ponchayad Raj System in india& G- Palaninthyrai.
4. Empowring Women Through Panchayati Raj Institi institution in India LaÛmi Sharma.
5. New Panchayati Raj at work& S Nagender Ambedker.
6. Sansani ka Panchayat Raj system& Jitendra Singh.
7. Institutionalising Panchayat Raj In india& V- Venkateshwara.
8. पंचायती राज व्यवस्थामें महिलाओं की भागीदारी– दयाशंकर सिंह यादव।
9. Behind the Veil Dalit Women& Sunita.
10. Politics of Rural Development& C-N- Ray.

*****